

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 25 () / लेखा/पीए/ निकाशि/ 2012-13

1185

दिनांक

10/7/13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (पुरुष/महिला)

विषय :- राजस्थान सीविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) 2008 के तहत स्थिरीकरण बाबत।

सन्दर्भ :- राजस्थान सरकार, वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14 (1) एफ.डी./रुल्स/2013 दिनांक 6.4.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त (नियम) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 14 (1) एफ.डी./रुल्स/2013 दिनांक 6.4.2013 में समस्त कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण दिनांक 1.1.2006 से संशोधन किया जाना है।

अतः जिन महाविद्यालयों में पदस्थापित लेखाकार की पदौन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर हो गई है और ज्वार्इन कर लिया है या जिन महाविद्यालयों में निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर द्वारा सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है/आगामी दिनों में पदस्थापन किये जाने की स्थिति में महाविद्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी से शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिको का दिनांक 1.1.2006 से वेतन स्थिरीकरण या संशोधित वेतन स्थिरीकरण करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 11 (7) एफ.डी./रुल्स/2008 दिनांक 12.9.08 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जावे।



वित्तीय सलाहकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर

क्रमांक. एफ 25 () / लेखा/पीए/ निकाशि/ 2012-13

1185

दिनांक

10/7/13

प्रतिलिपि -

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

2. संक्षिप्त पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर